

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
बीए नंबर 96/2020

मो नौशाद @नौशाद खान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

..... विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद सेन।

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमृत कुमार सिंह, एडवोकेट

राज्य के लिए : पंकज कुमार, एपीपी

04/07. 02. 2020 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, यह जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियोजन पक्ष
अगली तारीख पर गवाह का प्रस्तुत नहीं करता है, तो गवाहों के प्रस्तुत न करने के लिए नीचे
अदालत के समक्ष उचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

इस आदेश की एक प्रति श्री पंकज कुमार विद्वान एपीपी को सौंपी जाए।

(आनंद सेन, जे)

अंजलि/सीपी 3